

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2020/807

दिनांक:- 20/11/2020

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 696 दिनांक 08.10.2020 के द्वारा मण्डल की खान भांकरी रोड़ आवासीय योजना, दौसा में स्थित अल्प आय वर्ग के 01 तथा मध्यम आय वर्ग-ब के 06 कुल 07 स्वतंत्र आवासों के निस्तारण ई-सबमिशन (बिना छूट के) के 156 किशतों में किराया क्रय पद्धति के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति सहवन जारी की गई थी। जिसको तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।



(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-दौसा, राजस्थान आवासन मण्डल, दौसा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंध